HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Revision Petition No. 233/2026

Shri Naresh Kumar Mehta S/o Late Shri Krishan Kumar Mehta,

----Petitioner

Versus

Shri Ramniwas Daga S/o Shri Gopi Kishan Daga,

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Suresh Kumawat with Ms. Neha Sharma
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

08/05/2026

S.B. Civil Misc. Stay Application No. 2229/2026 in S.B. Civil Revision Petiion No. 233/2026:-

निगरानीकर्ता/प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि निगरानीकर्ता/प्रतिवादी के आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्य प्रथमदृष्ट्या साबित होते हुए भी विद्वान विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता/प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज करने में विधिक भूल व त्रुटि की है। प्रत्यर्थी/वादी का स्वामित्व वादग्रस्त संपत्ति पर नहीं है, न ही कब्जा है, अतः विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जावे।

निगरानीकर्ता/प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत किया हैः—

1. Anuthula Sudhakar Vs. P. Buchi Reddy (Dead) by LRs. and Ors.; (2008)4SCC594.

निगरानीकर्ता/प्रतिवादी को स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 2229 /2026 पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता/प्रतिवादी के द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसके द्वारा प्रत्यर्थी/वादी के विरुद्ध यह आक्षेप लगाया गया कि प्रत्यर्थी/वादी के पक्ष में दिनांक 08.09.2007 को निष्पादित हुआ इच्छा पत्र(will) किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा प्रोबेट के माध्यम से प्रमाणित नहीं हुआ है, अतः उसके द्वारा विवादित संपत्ति के संदर्भ में अपने स्वामित्व की घोषणा प्राप्त किये बिना आदेशात्मक निषेधाज्ञा का वाद दायर करना तथा वाद का उचित मूल्यांकन न करने के कारण प्रत्यर्थी/वादी का वाद पत्र निरस्त करने योग्य है। इस स्तर पर विद्वान विचारण न्यायालय के वाद की कार्यवाही को रोके जाने का कोई न्यायसंगत उचित आधार नहीं है। निगरानीकर्ता प्रत्यर्थीगण के उपस्थित आने पर पुनः स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

अतः निगरानकर्ता/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 2229 /2026 इस स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी को नियमानुसार नोटिस जारी किया जावे।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

Kishan Soni/4